प्रारूप-1

प्रमाण-पत्र (ओ0बी0सी0)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.
.....सुपुत्र/सुपुत्री/श्री.....
....निवासी -ग्राम/मोहल्ला
.....तहसील ..... नगर ..... जिला
..... उ.प्र. राज्य की .....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जतियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.
.....पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उ.प्र. लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ.प्र. लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय तीन लाख रू0 या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।
श्री/श्रीमती/कु. ..... तथा/अथवा उनका परिवार उ.प्र. के ग्राम ..... तहसील .....नगर .....जिला ..... में सामान्यतः रहता है।

स्थान - हस्ताक्षर .....

दिनांक - पूरा नाम.....

मुहर - पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।